



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2016/ ज्येष्ठ 17, 1938

No. 398]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2016/ JYAISTHA 17, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

**सा.का.नि. 583(अ).**— भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केरल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "केरल" शीर्षक के लिए और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"केरल

	राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद	94
	पुलिस महानिदेशक सह राज्य पुलिस प्रमुख	1
	निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	1
	अपर पुलिस महानिदेशक आसूचना	1

अपर पुलिस महानिदेशक अपराध	1
अपर पुलिस महानिदेशक व निदेशक 'केपा'	1
अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय	1
अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता	1
अपर पुलिस महानिदेशक, कारागार	1
अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन दल	1
अपर पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त	1
अपर पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस बटालियन	1
अपर पुलिस महानिदेशक, साउथ जोन	1
अपर पुलिस महानिदेशक, नॉर्थ जोन	1
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	1
पुलिस महानिरीक्षक अपराध I, II और III	3
पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता (मुख्यालय)	1
पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो	1
पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार आयोग	1
पुलिस महानिरीक्षक, सिविल अधिकार संरक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा	1

पुलिस महानिरीक्षक, आंतरिक सुरक्षा	1
पुलिस महानिरीक्षक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा प्रबंधन	1
पुलिस महानिरीक्षक, तटीय पुलिस	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, तिरुवनंतपुरम रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, एर्नाकुलम रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, त्रिशूर रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, कन्नूर रेंज	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस बटालियन	1

उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन	1
उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, तिरुवनंतपुरम शहर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, कोच्चि शहर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, कोझीकोड शहर	1
पुलिस अधीक्षक - कासरगोड	1
पुलिस अधीक्षक - कन्नूर	1
पुलिस अधीक्षक - वायनाड	1
पुलिस अधीक्षक - कोझिकोड ग्रामीण	1
पुलिस अधीक्षक - मलप्पुरम	1
पुलिस अधीक्षक - पलक्कड	1
पुलिस अधीक्षक - त्रिशूर ग्रामीण	1
पुलिस अधीक्षक - एर्नाकुलम ग्रामीण	1
पुलिस अधीक्षक - इद्दुकी	1
पुलिस अधीक्षक - कोट्टायम	1
पुलिस अधीक्षक - अलाप्पुझा	1
पुलिस अधीक्षक - पथानामथिट्टा	1
पुलिस अधीक्षक - कोल्लम ग्रामीण	1
पुलिस अधीक्षक - तिरुवनंतपुरम	1
पुलिस अधीक्षक - एस.बी., सीआईडी	4
पुलिस अधीक्षक, सीबी, सीआईडी	4
पुलिस अधीक्षक - रेलवे	1
पुलिस अधीक्षक - सतर्कता	4
पुलिस अधीक्षक - मुख्यालय	1
पुलिस अधीक्षक-संचार	1
पुलिस अधीक्षक सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी	1
पुलिस अधीक्षक सशस्त्र पुलिस बटालियन	3
कमांडेंट राज्य रैपिड एक्शन फोर्स	1
प्राचार्य, पीटीसी	1
सहायक निदेशक-'केपा'	1

	सहायक निदेशक (प्रशासन) - 'केपा'	1
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक - लोक शिकायत और कानूनी मामले	1
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय	1
	अपर पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय	1
	राज्यपाल के परिसहाय	1
	उप पुलिस कमिश्नर- तिरुवंतपुरम शहर	1
	उप पुलिस कमिश्नर - कोच्चि शहर	1
	उप पुलिस कमिश्नर, कोझीकोड शहर	1
	पुलिस अधीक्षक, महिला सेल	1
	कमांडेंट आईआरबी	1
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तटीय पुलिस	1
	पुलिस आयुक्त - कोल्लम शहर	1
	पुलिस आयुक्त - त्रिशूर सिटी	1
	पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा अपराध जांच विभाग	1
	पुलिस अधीक्षक - अपराध शाखा अपराध जांच विभाग	3
	पुलिस अधीक्षक - सतर्कता	2
	कमांडेंट एपी बटालियन	1
	पुलिस अधीक्षक, एंटी टेररिस्ट फोर्स (एटीएफ)	1
1	कुल वरिष्ठ झूटी पद	94
2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	37
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	23
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	03
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	15
6	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद, 1, 2, 3, और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	52
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	120
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	172"

[फा.सं.. 11052/04/2015-अ.भा.से.-II (क)]

कविता पद्मनाभन, उप-सचिव

**टिप्पणी (1):** इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, केरल संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 163 थी।

**टिप्पणी (2):** मुख्य विनियम 22 अक्टूबर, 1955 की सा. का. नि. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1.	540	27.10.1975	10.	320 (अ)	31.03.1995
2.	812	12.06.1976	11.	294	24.06.1995
3.	455 (अ)	30.07.1980	12.	740 (अ)	31.12.1997
4.	1008 (अ)	14.11.1981	13.	212 (अ)	24.04.1998
5.	344 (अ)	20.04.1983	14.	195	07.04.2001
6.	646	30.06.1984	15.	902 (अ)	30.12.2008
7.	187	26.03.1988	16.	192 (अ)	24.03.2009
8.	403	13.07.1991	17.	634 (अ)	01.09.2010
9.	90	04.03.1995			

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7<sup>th</sup> June, 2016.

**G.S.R. 583(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Kerala**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the schedule, for the heading “**Kerala**” and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

*“Kerala*

<b>Senior Duty Posts under the State Government</b>		<b>94</b>
Director General of Police cum State Police Chief		1
Director, Vigilance & Anti Corruption Bureau		1
Additional Director General of Police Intelligence		1
Additional Director General of Police Crimes		1
Additional Director General of Police & Director KEPA		1
Additional Director General of Police Headquarters		1
Additional Director General of Police Vigilance		1
Additional Director General of Police, Prisons		1
Additional Director General of Police Fire Force		1
Additional Director General of Police Transport Commissioner		1
Additional Director General of Police Armed Police Battalions		1
Additional Director General of Police, South Zone		1